भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5588
26 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

[illegible]

5588. [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश म तंबाकू से संबंधित रोगों के उपचार पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि व्यय को गई है और तंबाकू से संबंधित रोगों का आर्थिक भार कितना है;
(ख) क्या सरकार को तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों पर कराधान म वृद्धि करने को योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को जन स्वास्थ्य और राजस्व सृजन को संतुलित करने पर विचार करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने को योजना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) ऐसे कोई विशिष्ट आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते ह। तथापि, “भारत म तम्बाकू संबंधी रोगों का आर्थिक बोझ” पर तैयार रिपोट के अनुसार, वष 2011 से भारत म 35-69 वष को आयु के लोगों म तम्बाकू के प्रयोग से होने वाले सभी रोगों के कारण वहन को गई कुल आर्थिक लागत 1,04,500 करोड़ रूपए थी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं ह।

(ख) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) को दर जीएसटी परिषद् को सिफारिश पर निर्धारित को जाती ह। सभी तम्बाकू उत्पादों को जीएसटी के अंतगत 28 प्रतिशत के उच्चतम स्लैब म रखा गया है।

(ग) से (ङ) सरकार को तम्बाकू नियंत्रण नीति म बच्चों और युवा लोगों को तम्बाकू के व्यसन से बचाने पर विशेष बल देते हुए तम्बाकू के प्रयोग को हतोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है ताकि संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, सामान्य रूप से जन स्वास्थ्य म सुधार लाया जा सके।

तम्बाकू उत्पादों पर कराधान का उद्देश्य राजस्व सृजन नहों है। तम्बाकू उत्पादों पर कराधान का उद्देश्य इन उत्पादों को कोमतों को बढ़ाना है ताकि इन उत्पादों को मांग म गिरावट आए। कराधान से तम्बाकू के प्रयोग म कमी लाने को दिशा म सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बल मिलता है।

****